27

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा म0प्र0

अपील 725-III-15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

आवेदक की ओर से श्री सतानंद पाण्डेय एड. द्वारा पेश। 29-1-15

मिथिलेश कुमार गुप्ता तनय स्व0 श्री रामबहोरी गुप्ता उम्र 32 साल, पेशा व्यापार निवासी जय स्तंभ चौक सतना, जिला सतना म0प्र0

—————————अपीलार्थी

बनाम

28 / 29-1-15

क्रमांक 45794. रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज को प्राप्त। रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1-- श्रीमती सुशीला देवी पत्नी स्व0 श्री रामबहोरी गुप्ता उम्र 61 वर्ष, पेशा गृहकार्य निवासी जय स्तंभ चौक सतना, जिला सतना म0प्र0

2-- संतोष कुमार गुप्ता उम्र 43 वर्ष,

3-- राजेश गुप्ता उम्र 39 वर्ष,

4-- अमन गुप्ता उम्र 20 वर्ष, तीनों के पिता रामबहोरी गुप्ता निवासी जय स्तंभ चौक सतना, जिला सतना म0प्र0

5-- माया गुप्ता पुत्री रामबहोरी गुप्ता निवासी आम गॉव जिला गोंदिया महाराष्ट्र

6-- ज्योति गुप्ता पुत्री रामबहोरी गुप्ता पत्नी विजय गुप्ता उम्र 33 वर्ष, भिवापुर, जिला नागपुर महाराष्ट्र

7-- आरती गुप्ता पुत्री रामबहोरी पत्नी दीपक गुप्ता उम्र 27 वर्ष, निवासी आम गॉव जिला गोंदिया महाराष्ट्र

8-- पूजा गुप्ता पुत्री रामबहोरी पत्नी मोहन गुप्ता उम्र 25 वर्ष, साकिन अरजुदा राजनाथ गॉव म0प्र0

9-- कु0 प्रीति गुप्ता पुत्री रामबहोरी गुप्ता उम्र 22 वर्ष, निवासी जयस्तंभ चौक सतना म0प्र0

—————————**प्रत्यर्थीगण**

अपील माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क0–27/अपील/2014–15 मिथिलेश कुमार गुप्ता बनाम सुशीला देवी वगैरह में पारित आदेश दिनांक 16.12.2014 के विरूद्ध

———————————————

मिथिलेश कुमार गुप्ता

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-725/III/15 .... जिला सतना

मिथिलेश सुशीला

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.16	यह निगरानी आयुक्त रीवा के प्र0क्र0 27/अपील/14-15 में पारित आदेश दिनांक 16.12-14 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री सदानन्द मिश्रा को सुना गया तथा आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के संदर्भ में निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का भी अवलोकन करते हुए अंकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित आदेश दिनांक 16-12-14 का परिशीलन किया गया। प्रकरण में विद्यमान विवाद के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में विस्तृत एवं स्पष्ट विवेचना का विश्लेषण किया गया है तथा विवेचना उपरांत जो निष्कर्ष निकाला गया है वह उचित है ऐसी स्थिति में आयुक्त द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश में निकाले गये निष्कर्षों को यहां दुहराया नहीं जा रहा है किन्तु आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 16-12-14 में जो निष्कर्ष निकाले गये है वे इस आदेश अंग (भाग) माने जावेंगे, जिससे मैं सहमति प्रकट करता हूँ विचारोपरांत आयुक्त का आदेश दिनांक 16-12-14 विधिक एवं वैधानिक तथा उचित होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है परिणाम स्वरूप निगरानी में प्रचलन का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा0रि0 हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

कृ. प. उ.